सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

दिलीप सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 144 सीपीसी **नम्बर.....13....../18**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.5.18	अभिभाषक प्रार्थी श्री दिनेश गहलोत उपस्थिति। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबें मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष उपरोक्त उनवानी अपील में वादगत भूमि ग्राम शरह बोरला के खसरा नम्बर 9 मिन में 50 बीघा भूमि जो चकबन्दी आने पर खसरा नम्बर 185 में 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 197 में 3.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 198 में 2.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 297/103 में 1076 हेक्टर, खसरा नम्बर 201 मे 1.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 202 में 2.47 हेक्टर पैमूद हुई। वादगत् भूमि के बाबत् अदालतवाला द्वारा दिनांक 30–03–2002 को प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–02–1984 व 27–12–1982 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट/प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश से जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 13–02–1984 व 27–12–1982 निरस्त किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये कि उनकी भूमि बहाल की जा चुकी है लिहाजा राजस्व रिकार्ड में उक्त निर्णय की पालना में अमल–दरामद किया जावे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में कोई	

कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है जबकि कानूनन निर्णय की पालना में पूर्व की स्थिति को प्रतिस्थापित (Restitute) किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रिकार्ड में पूर्व की स्थिति का अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया जाता रहा है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक श्रीमान् के आदेश की पालना नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास न्यायालय हाजा की शरण में आने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है।

उन्होंने आगे बताया कि माननीय जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20–02–2013 में भी ऐसे पुराने आवंटन को खारिज करना गलत बताया गया व सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आवंटियों की भूमि को बहाल किया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी प्रार्थी को आवंटित भूमि की खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार भी प्रार्थी अपनी आवंटित भूमि के बाबत् अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि की पूर्व के कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड की स्थिति को प्रतिस्थापित (Restitute) करते हुए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा इस संबंध में आरआरडी 2017 पेज 790 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वादगत् भूमि ग्राम शरह बोरला के खसरा नम्बर 9 मिन में 50 बीघा जो चकबन्दी आने पर खसरा नम्बर 185 में 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 197 में 3.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 198 में 2.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 297/103 में 1076 हेक्टर, खसरा नम्बर 201 मे 1.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 202 में 2.47 हेक्टर पैमूद हुई के बाबत् प्रस्तुत अपील में दिनांक 30–03–2002 को अपीलांट/प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर, बीकानेर के

आदेश दिनांक 13–02–1984 व 27–12–1982 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें।

चूंकि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 13–02–1984 व 27–12–1982 को निरस्त किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश से पूर्व की स्थिति वादगत् भूमि के संबंध में प्रतिस्थापित करने का निवेदन किया जाता रहा है। अभिभाषक प्रार्थी के कथनानुसार प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। जिससे व्यथित होकर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में अदालत हाजा अपने आदेश दिनांक 30–03–2002 द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दिया गया था व उभय पक्षों को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना व्यक्त करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त निर्णय के प्रकाश में प्रार्थी निरन्तर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आदेश की पालना में कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया जाता रहा है। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है।

जहॉ तक अभिभाषक अपीलांट द्वारा धारा 144 सीपीसी के तहत प्रस्तुत Restitution प्रार्थना पत्र का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि धारा 144 सीपीसी के तहत Restitution प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। लिहाजा अभिभाषक अपीलांट के इस कथन पर कि वादगत् भूमि के पूर्व की स्थिति Restitute की जावे, पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है।

प्रकरण में चूंकि अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि उसके द्वारा बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भी अदालत मातहत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की

जा रही है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे न्यायालय हाजा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 30–03–2002 के अनुसरण में अपीलांट/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व तहसीलदार से वादगत् भूमि की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।